न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/46/2025	2025/197	06.10.2025	09.12.2025

1.राज्य सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ0स0), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0), राजगढ, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1.श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री कजोडमल निवासी माचाडी तहसील रैणी प्रोपराइटर मैसर्स श्री राम खाद बीज भंडार, पाडा, तहसील रैणी, जिला अलवर।
2.श्री हरीकिशन मीणा पुत्र श्री बद्री प्रसाद मीणा, जाति मीणा, निवासी पाडा, तहसील रैणी, जिला अलवर।
3.श्री अशोक मीणा पुत्र श्री कालू राम मीणा, जाति मीणा, निवासी बेरेर, तहसील रैणी, जिला अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सहपठित आदेश राजस्थान उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985।

उपस्थितः—
01. श्री ओमानन्द चौधरी —वकील अप्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सहपठित आदेश राजस्थान उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत जब्त उर्वरक को राजसात करने हेतु पेश किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि दिनांक 29.9.2025 को समय लगभग 3:00 बजे दोपहर को श्रीराम खाद बीज भंडार, पाडा का निरीक्षण करने श्री विश्राम मीणा सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), श्री मोहनलाल मीणा कृषि अधिकारी (फसल) एवं में स्वय बृजेंद्र कुमार गोयम कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ़ से उक्त विकय परिषर पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान श्री राम खाद बीज भंडार, पांडा के आदान परिसर से करीब 100 मीटर पहले स्थित दुकान पर से डी.ए.पी. उर्वरक का श्री अशोक मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा निवासी बैरेर द्वारा विक्रय करना पाया गया। जैसे ही निरीक्षण टीम उक्त दुकान पर रुकी तो विक्रेता श्री अशोक मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा निवासी बैरेर जो पास में ही मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है. निरीक्षण टीम को देखते ही दुकान का ताला लगाकर वहां से भाग गया। उस वक्त डी.ए.पी खरीदार कृषक श्री तुलसीराम मीणा पुत्र श्री हरसहाय मीणा निवासी आमाला, बहडको कला, तहसील रैनी मौके पर मिले तथा श्री तुलसीराम मीणा ने बताया कि उसने 02 कट्टे डी.ए.पी. उर्वरक श्री अशोक मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा निवासी बेरेर से 1600 रुपए के हिसाब से 3200रु नगद देकर खरीदे व श्री अशोक मीणा कृषि विभाग टीम की गाड़ी को देखकर दुकान के पीछे से भाग गया। तथाकथित दुकान में श्री विनोद कुमार शर्मा प्रोपराइटर मैसर्स श्रीराम खाद बीज भंडार पाढा द्वारा जर्वरको का अवेध भण्डारण कर श्री अशोक कुमार मीणा के साथ मिलकर उर्वरको का अपेध करोबार एवं कालाबाजारी की जा रही है। दुकानों में एक पर अवस्थी सीमेंट एजेंसी व दूसरी दुकान पर मुनेश टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन लिखा हुआ है। दुकान को अंदर से खोलने हेतु श्री विनोद कुमार अवस्थी को फोन कर बुलाया तो उन्होंने घर से बाहर होने की बात कही तथा किसी अन्य को बाबी देकर 30 मिनट में भेजने की बात कही। इसके उपरांत दुकान मालिक श्री हरिकिशन मीणा पुत्र श्री बद्री प्रसाद मीणा निवासी पाड़ा मौके पर आए तथा कई बार निरीक्षण टीम द्वारा अनुरोध करने पर भी चाबी नहीं दी गई। नियमानुसार कार्यवाही हेतु राजगढ पुलिस थाने से श्रीमान पूताधिकारी, श्री राजेश कुमार मीणा से दूरभाष

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

पर बात कर पुलिस जाप्ता चाहा गया। श्री मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल (बेल्ट नं. 54), पुलिस थाना, राजगढ़ से पुलिस जाप्ता लेकर पहुंचे। निरीक्षण टीम पुलिस जाप्ता व अन्य मौजूद ग्रामीणों के समक्ष दुकान जिस पर मुनेश टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन अंकित है का ताला तोड़ने की कार्यवाही करने की मौके पर मौजूद दुकान मालिक श्री हरिकिशन मीणा पुत्र श्री बद्री प्रसाद मीणा निवासी पाड़ा मोबाइल नंबर 9660508413 को अवगत करवाया तब उन्होने अवगत कराया कि मेरे द्वारा यह दुकान टेण्ट हेतु किराये पर दे रखी हैं, आप दुकान का ताला तोड़ने की कार्यवाही न करे में आपको अभी चाबी उपलब्ध करा दूंगा। लगभग 10 मिनट बाद श्री अशोक कुमार मीणा से चाबी मंगवा कर निरीक्षण टीम को श्री हरीकिशन मीणा द्वारा उपलब्ध करावा दी गई। इसके पश्चात निरीक्षण टीम, पुलिस जाप्ता, दुकान मालिक व अन्य ग्रामिणो की उपस्थिति में मुनेश टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन अंकित दुकान का ताला खोला गया। दुकान के अंदर डीएपी उर्वरक 77 बेग 50 किलोगम के मैं० इण्डियन पोटास लिमीटेड निर्मित व नीम कोटेड यूरिया उर्वरक 453 बैंग 45 किलोगम के मैं० एच.यू.आर.एल. एवं मैं० नर्मदा बायोकेम लिमिटेड निर्मित खाद मौजूद पाया गया। उक्त दुकान की जानकारी चाही गई कि किसी भी प्रकार का लाइसेंस है अथवा नहीं तो किसी ने भी कोई दस्तावेज निरीक्षण टीम को नहीं दिखाये व उर्वरको की पूर्ण मात्रा श्री विनोद कुमार शर्मा प्रोपराइटर मैसर्स श्री राम खाद बीज भंडार, पाडा के होना बताया तथा उक्त फॉर्म के लाइसेंस की जांच की गई तो यह दुकान लाइसेंस में दर्ज ही नहीं पाई गई।

उक्त उर्वरक में से डीएपी उर्वरक का 01 व यूरिया उर्वरक के 02 नमूने गुणवता जांच हेतु ऑफलाइन नियमानुसार आहरित किये गये इसके उपरान्त नियमानुसार सम्पूर्ण उर्वरक मात्रा को जप्त कर श्री सुरेश तिवाडी, व्यवस्थापक, खोहरा चोहान ग्राम सेवा सहकारी समिति, बैरेर को सुपुर्द कर सुपुर्दगी प्राप्त की गई। तथा निरीक्षण टीम व पुलिस जाप्ते के समक्ष मौके पर ही मोका निरिक्षण रिपोर्ट तैयार कि गई गई। थाना राजगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी। उक्त सीजर का इन्टीमेशन श्रीमान जिला कलक्टर अलवर को कार्यालय हाजा के पत्रांक 3035 दिनांक 30.09.2025 द्वारा दे दी गई हैं तथा आहरित उर्वरक नमूनों की जांच कराये जाने हेतु नमूनों को उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में पत्रांक 3074 दिनांक 03.10.2025 द्वारा भिजवा दिया गया है, नमूनो की जांच हो जाने पर प्रथक से माननीय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जावेगी। इस कार्यालय के पत्रांक 3071–73 दिनांक 03.10. 2025 द्वारा उक्त प्रकरण की सूचना श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (गु.नि.) कृषि आयुक्तालय जयपुर, श्रीमान अतिरिक्त निदेशक कृषि (ति.), भरतपुर खण्ड, भरतपुर व श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (वि.), जिला परिषद, अलवर को भिजवाई गई । श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री कजोडमल निवासी माचाड़ी तहसील रेणी प्रोपराइटर मैसर्स श्री राम खाद बीज भंडार, पाडा, श्री अशोक मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा निवासी बेरेर तहसील रेणी जिला अलवर व श्री हरिकिशन मीणा पुत्र श्री बद्री प्रसाद मीणा निवासी पाड़ा तहसील रेणी जिला अलवर द्वारा उर्वरक डीएपी व यूरिया का अवैध भण्डारण कर अधिक दर पर कृषको को बेचान करने, उर्वरक अनुज्ञापत्र में गोदाम जोडे बगेर अवैध कारोबार करने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 03, 04, 05, 19 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन किया गया है। जो दंडनीय अपराध है। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(I) के तहत जब्त उर्वरक को राजसात करने एवं निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित।

अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 जिस कदर बयान किया गया हैं, जानकारी के अभाव में गलत हैं, अस्वीकार हैं। चरण हाजा में वर्णित तथ्यों की हम अप्रार्थीगण को कोई विस्तृत जानकारी नही हैं, इसलिए जवाब दिया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थी स्वयं से दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया जावें। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 2 जिस कदर बयान किया गया हैं, इतना स्वीकार हैं, कि दिनांक 29.9.2025 को समय लगभग 3.00 बजे दोपहर को श्रीराम खाद बीज भंडार, पाडा का निरीक्षण करने श्री विश्राम मीणा सहायक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

निदेशक कृषि (विस्तार), श्री मोहनलाल मीणा कृषि अधिकारी (फसल) एवं स्वयं वृजेंद्र कुमार गोयम कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ से उक्त विक्रय परिषर पर पहुंचे, बाकि लेख गलत हैं, अस्वीकार हैं। डी. ए. पी. खरीदार कृपक श्री तुलसीराम मीणा पुत्र श्री हरसहाय मीणा निवासी आमाला, बहडको कला, तहसील रैनी का हलफनामा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दस्तावेजी साक्ष्य में पेश किया जा रहा हैं, जिसके अवलोकन से अदालत श्रीमान को वास्तविकता की जानकारी होगी। प्रार्थी ने चरण हाजा में समस्त तथ्य मिथ्या, मनगढन्त, काल्पनिक प्रार्थना पत्र की पूर्ति के लिए अंकित किए हैं। वास्तविक तथ्य अतिरिक्त कथन में अंकित किए जा रहे हैं। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 3 जिस कदर बयान किया गया है, गलत हैं. अस्वीकार हैं। प्रार्थी ने चरण हाजा में समस्त तथ्य मिथ्या, मनगढन्त, काल्पनिक प्रार्थना पत्र की पूर्ति के लिए अंकित किए हैं। वक्त निरीक्षण तथाकथित दुकान में श्री विनोद कुमार शर्मा प्रोपराइटर मैसर्स श्रीराम खाद बीज भंडार, पाका द्वारा उर्वरको का अवेध भण्डारण कर श्री अशोक कुमार मीणा के साथ मिलकर उर्वरको का अवेध कारोबार एवं कालाबाजारी नही की जा रही थी। तथा ना ही चरण हाजा अनुसार निरीक्षण दल व हम अप्रार्थीगण के मध्य कोई घटना या वार्तालाप हुआ।

प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 4 जिस कदर बयान किया गया हैं, गलत हैं. अस्वीकार है। निरीक्षण टीम को सभी वैद्य दस्तावेज उपलब्ध कराये गये। प्रार्थी ने चरण हाजा में समस्त तथ्य मिथ्या, मनगढन्त, काल्पनिक प्रार्थना पत्र की पूर्ति के लिए अंकित किए हैं। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 5 जिस कदर बयान किया गया हैं, सही हैं, स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 6 जिस कदर बयान किया गया हैं, सही हैं, स्वीकार हैं। लेकिन पुलिस थाना राजगढ में झूठी प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करवायी गयी। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 7 जिस कदर बयान किया गया हैं, जानकारी के अभाव में गलत हैं, अस्वीकार हैं। चरण हाजा में वर्णित तथ्यों की हम अप्रार्थीगण को कोई विस्तृत जानकारी नही हैं, इसलिए जवाब दिया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थी स्वयं से दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया जावें। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 8 जिस कदर बयान किया गया हैं, जानकारी के अभाव में गलत हैं, अस्वीकार हैं। चरण हाजा में वर्णित तथ्यों की हम अप्रार्थीगण को कोई विस्तृत जानकारी नही हैं, इसलिए जवाब दिया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थी स्वयं से दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया जावें। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 9 जिस कदर बयान किया गया हैं, गलत हैं, अस्वीकार हैं। हम अप्रार्थीगण श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री कजोडमल निवासी माचाडी तहसील रैणी प्रोपराइटर मैसर्स श्री राम खाद बीज भंडार, पाडा, श्री अशोक मीणा पुत्र श्री कालू राम मीणा, जाति मीणा, निवासी बेरेर, तहसील रेनी, जिला अलवर व श्री हरीकिशन मीणा पुत्र श्री बद्री प्रसाद मीणा जाति मीणा निवासी पाडा, तहसील रेनी, जिला अलवर द्वारा उर्वरक डीएपी व यूरिया का अवैध भण्डारण कर अधिक दर पर कृषको को बेचान नहीं किया गया है, ना ही उर्वरक अनुज्ञापत्र में गोदाम जोडे बगेर अवैध कारोबार किया गया है, ना ही उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 03, 04, 05. 19 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन कर कोई दंडनीय अपराध कारित किया गया है। प्रार्थी ने चरण हाजा में समस्त तथ्य मिथ्या, मनगढन्त, काल्पनिक वादकारण पैदा करने व प्रार्थना पत्र की पूर्ति के लिए अंकित किए हैं। प्रार्थी को हम अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए कोई वादकारण पैदा नहीं होता है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मौजूदा सूरत में हम अप्रार्थीगण के खिलाफ पोशनीय नहीं हैं. सव्यय खारिज किए जाने योग्य है, खारिज फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र का आखिरी चरण जिस कदर बयान किया गया हैं. बाबत अनुतोष हैं. जो गलत हैं, अस्वीकार हैं। चरण हाजा अनुसार प्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (4) के तहत जब्त उर्वरक को राजसात कराने एवं निस्तारण की कार्यवाही कराने का विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार अधिकारी नही हैं। प्रार्थी को हम अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए कोई वादकारण पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मौजूदा सूरत में हम अप्रार्थीगण के खिलाफ पोशनीय नही हैं, सव्यय खारिज किए जाने योग्य हैं, खारिज फरमाया जावें।

(अतिरिक्त कथन) हम अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र कतई मिथ्या, मनगढन्त, काल्पनिक तथ्यों के आधार पर अदालत श्रीमान में पेश किया गया हैं, प्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में कोई सत्यता नही हैं। प्रार्थी को हम अप्रार्थीगण के खिलाफ अदालत श्रीमान में प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए कोई वादकारण पैदा नही होता हैं। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र हम अप्रार्थीगण को नाजायज रूप से तंग व परेशान करने व मुकदमाबाजी में फंसाकर आर्थिक एवं मानसिक नुकसान कारित करने की नियत से पेश किया हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हम अप्रार्थीगण के खिलाफ मौजूदा सूरत में पोशनीय नहीं हैं. सव्यय खारिज किए जाने योग्य है, खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान श्रीराम खाद बीज भण्डार के नाम से ग्राम पाडा तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं, वक्त निरीक्षण अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त दुकान बंद थी, अप्रार्थी संख्या 1 नवरात्रा करने के कारण दुकान पर नहीं आ रहा था, अप्रार्थी संख्या 1 का पडोसी दुकानदार अप्रार्थी संख्या 2 अपनी स्वयं की दुकान पर मोटर साईकिल रिपेयरिंग का कार्य करता है। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं अनुज्ञापत्र धारक हैं. तथा अप्रार्थी संख्या 1 निष्ठा एवं ईमानदारी से अपना कारोबार दुकानदारी करता है, जिसकी कोई शिकायत नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या दो दुकान मालिक व अप्रार्थी संख्या 3 पडौसी दुकानदार का प्रकरण में कोई लेना देना नहीं हैं, उनको बेजा रूप से पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं। हम अप्रार्थीगण द्वारा उर्वरको का अवैध भण्डारण किसी भी प्रकार से नही किया गया है, वैध गोदाम में उर्वक का भण्डारण किया गया। जिसके किरायानामा एवं गोदाम की फोटो जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर अदालत श्रीमान में पेश किये जा रहे हैं। उर्वरक का बेचान पोस मशीन से ही किया गया था, बिना पोस मशीन के कोई उर्वरक का बेचान नही किया गया हैं, पोस मशीन में उर्वरक के 20 बैग थे, मौके पर 77 बैग डीएपी थें, जो निम्न प्रकार से वितरित किये गयेः—

1—30 बैग डीएपी के कैलाश मीना पुत्र परताराम मीना निवासी खिरखडी राणा तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

2—17 बैग डीएपी के यादराम मीना पुत्र जग्गु राम मीना निवासी बुचपुरी सालोली तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

3—10 बैग डीएपी के हरिकिशन मीना पुत्र बद्री प्रसाद मीना निवासी पाडा तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

उक्त बिलो की फोटो प्रति संलग्न कर पेश की जा रही हैं। उर्वरको का निर्धारित दर पर ही विक्रय किया गया था. परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 नवरात्रा व्रत में होने के कारण दिनांक 22.09.2025 से दिनांक 01.10.2025 तक मन्दिर में पूजा पाठ में व्यस्त था, दुकान इस दौरान बन्द थी। किसी मिलने वाले ग्राहक का फोन आने के कारण पढौस के दुकानदार अप्रार्थी संख्या 3 को दुकान की चॉबी भिजवाई गई थी, इसी बीच कोई अज्ञात व्यक्ति डी ए पी के दो कट्टे लेने पहुंच गया। अप्रार्थी संख्या 1 के गोदाम परिसर पर फर्म के नाम का फलेक्सी बैनर लगा हुआ था। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 नवरात्रा में व्यस्त रहने के कारण निरीक्षण दल द्वारा कार्यवाही करने से दो दिन पूर्व ही देर रात को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्म का बैनर उखाड़ दिया गया था। अब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दुकान पर रंग से पुनः फर्म का नाम अंकित करवा दिया गया है। कृषक तुलसीराम मीणा द्वारा दिनांक 29.9.2025 अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से 2 कटटे डीएपी व 2 पैकिट जईम के लिए थे, जो कि डीएपी 1350/—रूपये प्रति कटटा व 500/—रूपये जईम के कुल 3200/—रूपये दिये थे, ना कि तुलसीराम मीणा ने 2 कटटे डीएपी उर्वरक अप्रार्थी संख्या 3 से 1600/—रूपये के हिसाब से 3200/—रूपये में खरीद किये थे। अप्रार्थी संख्या 2 दुकान मालिक हैं। जिसकी ताईद में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित डी. ए. पी. खरीदार कृषक श्री तुलसीराम मीणा पुत्र श्री हरसहाय मीणा निवासी आमाला, बहडको कला, तहसील रैनी का हलफनामा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दस्तावेजी साक्ष्य में पेश किया जा रहा हैं, जिसके अवलोकन से अदालत श्रीमान को वास्तविकता की जानकारी होगी। तथा प्रकरण से संबधित अन्य वैध दस्तावेजात की प्रति भी जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये जा रहे हैं, जिनके अवलोकन से भी अदालत श्रीमान को जानकारी होगी, कि हम अप्रार्थीगण श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री कजोडमल निवासी माचाडी तहसील रैणी प्रोपराइटर मैसर्स श्री राम खाद बीज भंडार, पाडा, श्री अशोक मीणा पुत्र श्री कालू राम मीणा, जाति मीणा, निवासी बेरेर, तहसील रेनी, जिला अलवर व श्री हरीकिशन मीणा पुत्र श्री बद्री प्रसाद मीणा जाति मीणा निवासी पाडा, तहसील रेनी, जिला अलवर द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उर्वरक डीएपी व यूरिया का अवैध भण्डारण कर अधिक दर पर कृषको को बेचान नहीं किया गया हैं, ना ही उर्वरक अनुज्ञापत्र में गोदाम जोडे बगेर अवैध कारोबार किया गया हैं, ना ही उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 03, 04, 05, 19 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन कर कोई दंडनीय अपराध कारित किया गया हैं। प्रार्थी हम अप्रार्थीगण के खिलाफ मौजूदा सूरत में कोई अनुतोंष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, ना ही प्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत जब्त उर्वरक को राजसात कराने एवं निस्तारण की कार्यवाही कराने का विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार अधिकारी हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हम अप्रार्थीगण के खिलाफ मौजूदा सूरत में पोशनीय नहीं हैं, सव्यय खारिज किए जाने योग्य हैं, खारिज फरमाया जावें। यह कि अन्य उजरात तथ्य वक्त बहस मौखिक रूप से अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किये जावेगें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया जाता हैं. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हम अप्रार्थीगण के खिलाफ सव्यय खारिज फरमाया जावें। तथा हम अप्रार्थीगण के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की कार्यवाही समाप्त की जावे। तथा जब्त उर्वरक को अप्रार्थी संख्या 1 को लौटाकर उसका उपयोग उपभोग करने की आज्ञा हेतु प्रार्थी अथवा संबधित अधिकारी को उचित आदेश/निर्देश पारित किए जावें। महति कृपा होगी।

प्रार्थी दौराने बहस अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रार्थी (कृषि विभाग) द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्त उर्वरक (डीएपी एवं यूरिया) को राजसात करने हेतु एवं अप्रार्थीगण के जवाब तथा संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों (हलफनामा, बिल, किरायानामा) का गहनता से अवलोकन किया गया। अवैध भण्डारण के आरोप पर संदेह पर प्रार्थी का मुख्य आरोप यह है कि उर्वरक का भण्डारण 'मुनेश टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन' लिखी दुकान में किया गया था, जो कि लाइसेंस में दर्ज नहीं थी। अप्रार्थी का पक्षः अप्रार्थी संख्या 1 (विनोद कुमार शर्मा) ने गोदाम का किरायानामा एवं फोटो पेश कर यह स्पष्ट किया है कि भण्डारण वैध गोदाम में किया गया था। यह भी बताया गया कि फर्म का बैनर दो दिन पहले अज्ञात व्यक्ति द्वारा उखाड़ दिया गया था। निष्कर्षः जब तक प्रार्थी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के रिकॉर्ड से यह सिद्ध नहीं कर देता कि यह गोदाम वैध रूप से पंजीकृत नहीं था, और अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किरायानामा व फोटो झूठे हैं, तब तक केवल दुकान पर लिखे गए नाम के आधार पर भण्डारण को अवैध नहीं माना जा सकता। प्रार्थी ने कृषक श्री तुलसीराम मीणा के हवाले से रूपये 1600/–प्रति कट्टा की दर से बिक्री का आरोप लगाया। अप्रार्थी का पक्षः अप्रार्थीगण ने स्वयं कृषक श्री तुलसीराम मीणा का हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसने रूपये 1350/–प्रति कट्टा डीएपी की निर्धारित दर पर खरीदा था (कुल रूपये 3200 में 2 कट्टे डीएपी और 2 पैकेट जईम)। इसके अतिरिक्त, अप्रार्थी ने तीन अन्य ग्राहकों को की गई बिक्री के बिल भी संलग्न किए हैं, यह दर्शाते हुए कि बिक्री च्वै मशीन से निर्धारित दर पर ही की गई थी। कृषक का हलफनामा, जो प्रार्थी के दावे को सीधे चुनौती देता है और अप्रार्थी के पक्ष की पुष्टि करता है, एक मजबूत साक्ष्य है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 07 (अधिक कीमत पर बिक्री का निषेध) के उल्लंघन का आरोप अप्रमाणित पाया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात करने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का गंभीर उल्लंघन हुआ है। चूँकि अवैध भण्डारण और कालाबाजारी के आरोप दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विवादित हैं और सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए उर्वरक को राजसात करने का कोई ठोस वाद कारण नहीं बनता है। उर्वरक एक आवश्यक वस्तु है, जिसका उपयोग कृषकों द्वारा समय पर करना आवश्यक होता है। अनावश्यक रूप से लंबे समय तक इसे जब्त रखना कृषकों के हित के विरुद्ध है। पत्रावली पर आये तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

वस्तु अधिनियम 1955, सहपठित आदेश राजस्थान उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 खारिज योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं सहपठित आदेश राजस्थान उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 खारिज किया जाता है। अप्रार्थीगण को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की कार्यवाही से मुक्त किया जात है साथ ही उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ0स0), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0), राजगढ, जिला अलवर राज0 को निर्देशित किया जाता है कि जब्त किए गए सम्पूर्ण उर्वरक (77 बैग डीएपी और 453 बैग यूरिया) को तत्काल अप्रार्थी संख्या 1 श्री विनोद कुमार शर्मा प्रोपराइटर मैसर्स श्री राम खाद बीज भंडार, पाडा को वापस लौटावें। श्री सुरेश तिवाडी, व्यवस्थापक, खोहरा चोहान ग्राम सेवा सहकारी समिति, बैरेर, जिन्हें उर्वरक की सुपुर्दगी दी गई थी, को निर्देश दिया जाता है कि वे नियमानुसार जब्तशुदा उर्वरक को अप्रार्थी संख्या 1 को हस्तांतरित करें और हस्तांतरण की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ0स0), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0), राजगढ, जिला अलवर राज0 एवं श्री सुरेश तिवाडी, व्यवस्थापक, खोहरा चोहान ग्राम सेवा सहकारी समिति, बैरेर को पालनार्थ भिजवाई जावें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)